राजस्थान कर बोर्ड, अजमेर

अपील आबकारी संख्या 560/2017/जालौर

श्री ठाकुर अतुल कुमार पुत्र श्री रामजी,
ठाकुरदास आगनबाडी के पास गांव बडावल,
तहसील व जिला डीसा, गुजरात। .....अपीलार्थी

बनाम

अतिरिक्त आबकारी आयुक्त, जोन जोधपुर। .....प्रत्यर्थी

खण्डपीठ
श्री मदन लाल, सदस्य
श्री के.एल.जैन, सदस्य

उपस्थित :

श्री लोकपाल सिंह, अभिभाषक .....अपीलार्थी की ओर से
श्री आर.के.अजमेरा,
उप राजकीय अभिभाषक। .....प्रत्यर्थी की ओर से.

निर्णय दिनांक : 07.04.2017

निर्णय

यह अपील अपीलार्थी द्वारा अतिरिक्त आबकारी आयुक्त, जोन जोधपुर के प्रकरण क्रमांक प.1()वाहन/16/213 में पारित किये गये निर्णय दिनांक 20.02.2017 के विरूद्ध राजस्थान आबकारी अधिनियम, 1950 (जिसे आगे **'आबकारी अधिनियम'** कहा गया है) की धारा 9(ए)(1बी) के अन्तर्गत प्रस्तुत की गई है। अति0 आबकारी आयुक्त द्वारा उक्त आदेश से अपीलार्थी के वाहन रिलीज करने के प्रार्थना पत्र को खारिज किया गया।

प्रकरण के तथ्य संक्षेप में इस प्रकार हैं कि पुलिस थाना रानीवाडा जिला जालौर में दर्ज अभियोजन संख्या 43 दिनांक 27.02.2016 जुर्म धारा 19/54/14/57 आबकारी अधिनियम के तहत जब्त वाहन स्विफ्ट संख्या जीजे–18–बीए–2057 को राज्यहित में अधिनियम की धारा 69 (4 व 7) के तहत अधिहरित किया जाकर जिला आबकारी अधिकारी को निर्देशित किया गया कि वे विधिवत्त प्रक्रिया के अनुसार समाचार पत्र में प्रकाशित करते हुए अधिहरित वाहन को सार्वजनिक निलामी से निलाम करें, उक्त आदेशों की पालना में जिला आबकारी अधिकारी ने विज्ञप्ति जारी की एवं अपीलार्थी को अतिरिक्त आबकारी आयुक्त के समक्ष अपना पक्ष प्रस्तुत करने का अवसर प्रदान किया। अपीलार्थी ने अतिरिक्त आबकारी आयुक्त के समक्ष प्रार्थना पत्र प्रस्तुत कर उक्त वाहन को रिलीज करने का निवेदन किया, जिसको अस्वीकारते हुए व्यवहारी के प्रार्थना पत्र को अपने आदेश दिनांक 20.02.2017 द्वारा खारिज किया गया। उक्त आदेश के विरूद्ध व्यवहारी द्वारा यह अपील आबकारी आयुक्त, उदयपुर के समक्ष प्रस्तुत नहीं करते हुए सीधे राजस्थान कर बोर्ड के समक्ष दि. 31.03.2017 को प्रस्तुत कर दी है।

उभयपक्षों की बहस सुनी गई।

अपीलार्थी की ओर से विद्वान अधिवक्ता ने तर्क किया कि सहवन से उनके द्वारा अपील कर बोर्ड के समक्ष प्रस्तुत की गई है, अतः उन्होंने आबकारी आयुक्त के समक्ष अपील प्रस्तुत करने की अनुमति चाहते हुए कर बोर्ड के समक्ष लम्बित अपील की अवधि तक समयसीमा में छूट प्रदान करने का निवेदन किया गया।

प्रत्यर्थी विभाग के विद्वान उप–राजकीय अभिभाषक ने अपीलार्थी अधिवक्ता के निवेदन पर कोई आपत्ति दर्ज नहीं करवायी एवं नियमानुसार अपील आबकारी आयुक्त के समक्ष दर्ज करवाने हेतु अपनी सहमति प्रदान की।

उभयपक्ष की बहस पर मनन किया गया एवं उपलब्ध रिकार्ड का अध्ययन किया गया। प्रकरण में अपीलार्थी द्वारा अतिरिक्त आबकारी आयुक्त जोन जोधपुर के आदेश दिनांक 20.02.2017 के विरूद्ध राजस्थान कर बोर्ड में दिनांक 31.03.2017 को अपील दर्ज करवायी गई है, जो विधि विरूद्ध है। क्योंकि आबकारी अधिनियम, 1950 की धारा 9ए के प्रावधानों के अनुसार केवल आबकारी आयुक्त के निर्णय के विरूद्ध ही दर्ज करवाई जा सकती है। अतः अपीलार्थी को उक्त प्रस्तुत अपील को प्रत्याहरित करने की छूट दी जाती है एवं वह चाहे तो अतिरिक्त आबकारी आयुक्त के आदेश के विरूद्ध आबकारी आयुक्त, उदयपुर के समक्ष अधिनियम की धारा 9(ए) के तहत अपील दर्ज करावें एवं उन्हें अपील प्रस्तुत करने हेतु समयसीमा में दिनांक 31.03.2017 से आदेश प्राप्ति की तिथि तक समयसीमा में शिथिलता प्रदान की जाती है।

निर्णय सुनाया गया ।

7/4/2017
(के.एल.जैन)
सदस्य

7.4.2017
(मदन लाल)
सदस्य